राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठकें

3232. श्री अजित जोगी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकें किन-किन तारीखों को आयोजित की गयी थीं और उनमें क्या-क्या निर्णय लिये गये ; और

(ख) इन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग) : (क) वर्ष 1995 के दौरान राष्ट्रीय विकास परिषद की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों का विकास

3233. प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को और अधिक धनराशि आबंटित किये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(घ) पिछली पंचवर्षीय योजना में आबंटित धनराशि की तुलना में इस योजना में आबंटित की गयी धनराशि कितनी कम है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग) : (क) लघु उद्योगों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से अधिक धन-राशि के, आबंटन के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्रों के विकास हेतु आठवीं योजना परिव्यय 261.28 करोड़ रुपये हैं जो सातवीं योजना के 171.59 करोड़ रुपये के परिव्यय से अधिक हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता

3234. प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस राशि के वितरण के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्यवार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग) : (क) से (ग) सामान्य केन्द्रीय सहायता का आबंटन राज्य की किसी सम्पूर्ण योजना के लिए किया जाता है और यह उसके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से अलग से नहीं जुड़ा है ।

सामान्य केन्द्रीय सहायता का आबंटन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार किया जाता है, जिसे दिसम्बर 1991 में संशोधित किया गया था । इस फार्मूले के तहत राज्यों को कुल मान्य केन्द्रीय सहायता का 30% भाग 10 विशेष श्रेणी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग रखा जाता है । ये 10 राज्य हैं—अरुणाचलम प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर,

मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। शेष 70% धनराशि फार्मूले के तहत निर्धारित मानदण्ड के अनुसार, जैसा कि संलग्न विवरण –1 में दर्शाया गया है, 15 गैर विशेष श्रेणी राज्यों को आवंटित की जाती है। (नीचे देखिए)

वर्ष 1994–95 के लिए सकल सामान्य केन्द्रीय सहायता के कुल राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण–1 में दिए गए हैं। (नीचे देखिए) इन आवंटनों में कोई शहरी ग्रामीण खुला सा नहीं है ।

विवरण-1

राज्यों की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन हेतु गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के तहत मानदंड और भार

मानदण्ड	भार (प्रतिशत)
(क) विशेष श्रेणी राज्य (*10)	30.0
(ख) गैर विशेष श्रेणी राज्य (**15)	70.0
जिनकी	
1. जनसंख्या (1971)	60.0
2. प्रति व्यक्ति आय (क+ख)	25.0
(क) राष्ट्रीय औसत से नीचे प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य .	20.0
(ख) सभी राज्य	5.0
3. निष्पादन (क+ख+ग)	7.5
(क) कर प्रयास	2.5
(ख) वित्तीय प्रबंधन	2.0
(ग) राष्ट्रीय उद्देश्य (1 से 4)	3.0
(1) जनसंख्या नियंत्रण	1.0
(2) महिला निरक्षरता उन्मूलन . . .	1.0
(3) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करना .	0.5
(4) भूमि सुधारों में सफलता	0.5
4. विशेष समस्याएं	7.5
जोड़ (1 से 4)	100.0
ग. जोड़ (क+ख)	100.0

*इस समय 90 प्रतिशत अनुदान और 100 प्रतिशत ऋण पद्धति ।

**इस समय 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण ।

विवरण-2

सामान्य केन्द्रीय सहायता, 1994-95 का सकल आवंटन*

राज्य		करोड़ रुपये
(क)	विशेष श्रेणी	
1.	अरूणाचल प्रदेश	306.87
2.	असम	898.67
3.	हिमाचल	386.37
4.	जम्मू व कश्मीर	839.83
5.	मणिपुर	248.37
6.	मेघालय	236.85
7.	मिजोरम	216.68
8.	नागालैण्ड	252.90
9.	सिक्किम	134.96
10.	त्रिपुरा	251.01
	उप-जोड़ (क) :	3772.60
(ख)	गैर विशेष श्रेणी	
1.	आंध्र प्रदेश	747.50
2.	विहार	957.31
3.	गोवा	50.34
4.	गुजरात	281.55
5.	हरियाणा	198.71
6.	कर्नाटक	308.15
7.	केरल	384.88
8.	मध्य प्रदेश	567.03
9.	महाराष्ट्र	460.24
10.	उड़ीसा	379.90
11.	पंजाब	169.26
12.	राजस्थान	438.51
13.	तमिलनाडु	654.14
14.	उत्तर प्रदेश	1293.80
15.	पश्चिम बंगाल	524.64
	उप-जोड़ (ख) :	7415.96
	कुल जोड़ (क+ख) :	11188.56

*विशेष समस्याओं के अधीन सहित ।